यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
कार्मिक संबंध प्रभाग
मानव संसाधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय
यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021.

स्टाफ परिपत्र क्र.:6728 दिनांक: 09.01.2018

प्रति: सभी कार्यालय / शाखाएं

विषय- लिपिकीय स्टाफ के लिए वाहन ऋण

परिपत्र की मुख्य बातें

1. दो पहिया और चार पहिया ऋण प्राप्ति की सुविधा एकसाथ;
2. चार पहिया ऋण के संबंध में चुकौती अवधि में संशोधन;
3. स्टाफ वाहन ऋण की चुकौती अवधि 70 वर्ष की उम्र तक बढ़ाई गई;

1. सभी शाखाओं/कार्यालयों का ध्यान अधिकारियों द्वारा वाहन की खरीद के लिए ऋण पर जारी स्टाफ परिपत्र क्र.5938 दिनांक 7 जनवरी 2013 और समय-समय पर उसमें हुए संशोधन की ओर आकर्षित किया जाता है.

2. बैंक सहर्ष सूचित करता है कि दिनांक 08.01.2018 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में विषयांतर्गत योजना के संबंध में निम्नलिखित आशोधन अनुमोदित किए गए है :

   ए) **एकसाथ दो पहिया और चार पहिया ऋण प्राप्ति की सुविधा:**
   जीवन शैली में हुए परिवर्तन और जीवन स्तर में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए, अधिकारी कर्मचारियों को निम्न शर्तों के साथ स्टाफ वाहन ऋण योजना के तहत दो पहिया के साथ-साथ चार पहिया वाहन खरीदने की अनुमति है.

   - किसी भी समय पर, स्टाफ वाहन ऋण के तहत अधिकारी कर्मचारियों को प्रदत्त (दो पहिया और चार पहिया दोनों एकसाथ) कुल स्वीकृत सीमा चार पहिया के लिए निर्धारित सीमा अर्थात ₹5.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.

   - शर्त यह है कि दूसरे वाहन की खरीद के लिए नया ऋण पर विचार करने से पूर्व पहले ऋण की प्राप्ति से के समय से चार वर्ष का अंतराल होना चाहिए.

अब, यह संशोधित किया गया है कि अलग से एक तरह के वाहन अर्थात एक दो पहिया ऋण के पश्चात दूसरा एक दो पहिया ऋण या एक चार पहिया ऋण के पश्चात दूसरे चार पहिया ऋण के लिए दूसरा/निरंतर ऋण में चार वर्ष का अंतराल होगा.

- पूरी सेवाकाल के दौरान, लिपिकीय स्टाफ द्वारा कर्मचारी वाहन ऋण (दो पहिया और चार पहिया दोनों सहित) के लाभ के लिए अवसरों की संख्या 4 गुना होगी.

बी) <u>चार पहिया ऋण के संबंध में चुकौती अवधि में संशोधन:</u>

हाल ही में बैंक ने स्टाफ वाहन ऋण पर ब्याज के सामान्य ब्याज को 6.5% तक कम कर दिया है. इस दृष्टि से, ब्याज का भार कम हो जाएगा और इसका लाभ उठाने के लिए, चार पहिया वाहन ऋण के संबंध में, यह निर्णय लिया गया है कि मूलधन और ब्याज कि समग्र वसूली 200 माह वर्तमान 120:80 (3:2) को संशोधित कर 140:60 (7:3) कर दिया गया है ताकि कर्मचारी इस कम किए गए किस्त का लाभ उठा सके.

- अनुपात चुकौती में उपर्युक्त संशोधन इस परिपत्र के परिचालित होने के बाद स्वीकृत ऋणों पर लागू होगा और वर्तमान ऋणों पर यह लागू नहीं होगा.
- वर्तमान दो पहिया के संबंध में 84 माह में 5:1 के अनुपात में चुकौती जारी रहेगी.

सी) स्टाफ वाहन ऋण की चुकौती अवधि 70 वर्ष की उम्र तक बढ़ाई गई

- कर्मचारियों को अब सेवानिवृत्ति की उम्र के बाद चुकौती अवधि के साथ स्टाफ वाहन ऋण का लाभ लेने की अनुमति है. कर्मचारी इस ऋण का लाभ चुकौती अवधि के साथ सेवानिवृत्ति के पहले 70 वर्ष की उम्र तक उठा सकते हैं या इससे संबन्धित दो पहिया/चार पहिया वाहन ऋण के लिए अनुबंध के रूप में चुकौती अवधि को बढ़ा सकते है, इनमें से जो भी पहले हो. सेवानिवृत्ति की तिथि के पश्चात स्टाफ वाहन ऋण के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा.
- स्वीकृत प्राधिकारी जब सेवानिवृत्ति बाद चुकौती के साथ ऋण को स्वीकृत कराते हैं तो उन्हें संबंधित कर्मचारी की आय (पेंशन, दूसरे स्रोतों से नियमित आय आदि) के संबंध में पूरी तरह संतुष्ट होना आवश्यक है.
- यदि किसी कर्मचारी की स्टाफ ऋण की चुकौती अवधि सेवानिवृत्ति के पश्चात तक है तथा वह यदि किसी कारणवश बैंक की सेवा से त्यागपत्र/वीआरएस या निष्कासन/अनिवार्य सेवानिवृत्ति/पदच्युति के कारण बैंक की सेवा समाप्त हो

जाती है तो उन्हें स्टाफ वाहन ऋण को निरंतर रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उन्हें ऋण की पूरी राशि समायोजित करनी होगी.

- 70 वर्ष की आयु तक चुकौती की उपर्युक्त बधाई गई सुविधा इस परिपत्र के जारी होने के पश्चात नई ऋण स्वीकृतों पर ही लागू होंगे और यह सुविधा मौजूदा ऋणों पर लागू नहीं होंगे.

3. स्टाफ वाहन ऋण योजना के अन्य सभी शर्तें एवं नियम अपरिवर्तित रहेंगे.

सभी संबंधितों से उपर्युक्त को ध्यानपूर्वक नोट करने का अनुरोध किया जाता है.

महाप्रबंधक (मासं)

Ms/chl/18/sc/officers modification in conveyance loan

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

Employee Relations Division
Human Resource Department, Central Office

Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai 400 021.

Staff Circular No.: 6728 Date: 09.01.2018

To: ALL BRANCHES / OFFICES

Sub: Conveyance Loan to Award Staff

Highlights of Circular:

1. **Facility of availment of Two-Wheeler and Four-Wheeler loans simultaneously;**
2. **Revision of repayment period in case of four-wheeler loan;**
3. **Extension of the repayment period of staff conveyance loan upto the age of 70 years.**

1. Attention is drawn to Staff Circular no. 5938 dated 7th January, 2013 on Staff Conveyance Loan Scheme for Award Staff and amendments thereto from time to time.

2. Bank is pleased to inform that the Board of Directors in its Meeting held on 08.01.2018 has approved the following modifications in respect of the subject Scheme as under:

   a) **Facility of availment of Two-Wheeler and Four-Wheeler loans simultaneously:**

   Looking to the change of lifestyle and increased standard of living, employees are now allowed to purchase two-wheeler and four-wheeler simultaneously under Staff Conveyance Loan Scheme with the following conditions:

   - At any point of time, total limits sanctioned to an employee under Staff Conveyance Loan (both two-wheeler and four-wheeler together) should not exceed the limit prescribed for the four-wheeler i.e. Rs. 5.00 lacs.

     For example, if an employee purchases a two-wheeler by availing loan of Rs. 0.80 lacs and if he wants to purchase a four-wheeler after sometime without liquidating/adjusting the two-wheeler loan, he will be entitled for maximum limit of Rs. 4.20 lacs (Rs. 5.00 lacs - Rs.0.80 lac) for purchase of 2nd vehicle i.e. four-wheeler.

- The condition that a period of 4 years should elapse from the date of availment of earlier loan before considering a fresh application for loan for purchase of another vehicle now stands modified to - the period 4 years should elapse to avail second/subsequent loan for same type of vehicle i.e. one two-wheeler to next two-wheeler loan and one four wheeler loan to next four-wheeler loan separately.

- The restriction on number of occasions for availing Staff Conveyance Loan (including both two-wheeler and four- wheeler) by Award Staff will continue to be 4 times, during the entire service period.

b) <u>Revision of repayment period in case of four-wheeler loan</u>:

Recently Bank reduced rate of interest on staff conveyance loan to 6.5% simple interest. In view of this, the interest burden has come down and in order to pass on the said benefit, it is decided that in case of four-wheeler loan, the overall repayment period of 200 months for recovery of principal and interest be revised from present 120:80 (3:2) to 140:60 (7:3) ratio so that employee can get benefit of the reduced instalment.

- The above modification in repayment proportion will be applicable only to loans sanctioned after the issuance of this circular and will not be applicable to the existing loans.

- The present repayment proportion of 5:1 in respect of two wheeler in 84 months will continue to be the same

c) <u>Repayment tenure in case of staff conveyance loan is extended beyond retirement date of the employee and upto the age of 70 years:</u>

- Employees are now permitted to avail staff conveyance loan with repayment period beyond the age of retirement. An employee has to avail this loan before the date of his/her superannuation with repayment period upto the age of 70 years or the repayment period as stipulated for the respective two wheeler / four wheeler loan, whichever is earlier. No request for granting Staff Conveyance loan shall be entertained after the date of retirement;

- Sanctioning Authority while sanctioning the loans with repayment beyond the age of retirement, should be satisfied with regard to the income (pension, regular income from other sources etc.) of the concerned employee.

- If the employee ceases to be in Bank's services, after availing the staff conveyance loan with repayment tenure beyond the superannuation age, due to Resignation/VRS or due to Removal/Compulsory Retirement/Dismissal or any other reason, he/she will not be allowed to continue the staff conveyance loan and has to adjust the entire loan;
- This above extended repayment upto the age of 70 years is applicable to new loans sanctioned after issuance of this circular and is not applicable to the existing loans.

3. All other existing terms and conditions of the Staff Conveyance Loan Scheme will remain unchanged.

All concerned are requested to take a careful note of the above.

GENERAL MANAGER (HR)

Hs/chi/18/sc/awardstaff-modification in conveyance loan